प्र.सं. 61/2019 श्रीमती परथीबाई व अन्य बनाम श्रीमती लक्ष्मीदेवी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.08.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बेड़वास में आराजी नंबर 1942, 1943, 1945 कुल किता 3 रकबा 0.1750 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त आधिपत्य की होकर प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा है एवं इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन नहीं होने से काश्त करने में असुविधा होती है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य उनके हक हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी 2 की ओर से इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का जवाबदावा बन्द किया जाकर दिनांक 29.12.2015 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी। तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 26-06-2018 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 09.12.2019 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री राजमल राव उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री जितेन्द्र झाला उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से वकील श्री पुष्कर पण्डया उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री की जानकारी उन्हें प्रथम बार दिनांक 15.11.2019 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील अन्दर मियाद में शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। उक्त बहस का जवाब देते रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपील डेढ़ वर्ष देरी से प्रस्तुत की गयी है, जबकि सहमति से डिक्री जारी की गयी है। ऐसी स्थिति	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan .
Date: 2021.09.14 12:30:01 IST
Reason: SelfAttested

में अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, वकील अपीलान्ट का कथन है कि मामले में विवाद केवल रास्ते का व धोरे का है, क्योंकि कुंआ अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 के हक में रखा गया है, जिससे अपीलान्ट अपने खेतों की पिलाई करता है, किन्तु कुंए पर आने का रास्ता नहीं दिया गया है, जिससे रेस्पोन्डेन्ट अपनी जमीन से जाने से मना करते हैं। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में संशोधिन करते हुए अपीलान्ट को कुंए तक जाने का रास्ता रेस्पोन्डेन्ट की जमीन से दिलाया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि डिक्री सहमति से जारी की गयी है तथा विभाजन पश्चात् भूमि रूपान्तरित होकर औद्योगिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही है तथा अब कृषि भूमि नहीं रही है। ऐसी स्थिति में अब इस न्यायालय का श्रवणाधिकार नहीं रहा है। वादग्रस्त जमीन में अपीलान्ट को अधिक भूमि दी गयी है, फिर भी जानबूझकर रूपये ऐठने की गरज से अपील प्रस्तुत की गयी है, जो खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि बंटवारे में कुंआ अपीलान्ट के खाते में रखा गया है, किन्तु कुंए पर जाने हेतु उसे रास्ता उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट के खाते में रखी गयी आराजियात से कुंए पर जाने हेतु रास्ते को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.10.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:30:01 IST
Reason: SelfAttested

ल. चौहान)
अधिकारी
अधिकारी
उदयपुर